संख्या-892/2015/2497/69-1-15-14(104)/13टीसी-।

प्रेषक,

एच0पी0 सिंह
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

निदेशक,
राज्य नगरीय विकास अभिकरण,
उ0प्र0, लखनऊ।

नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग। **लखनऊ : दिनांक : 03 नवम्बर, 2015**

विषय-**राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजनान्तर्गत एनएसडीसी पार्टनर संस्थाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु प्रथम किश्त का भुगतान एसयूएलएम (सूडा), उ0प्र0 से किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 लखनऊ के पत्रांक-2690ए/241/एनयूएलएम/तीन/2014(एनएसडीसी), दिनांक 26.10.2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजनान्तर्गत एनएसडीसी को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु आवंटित कुल लक्ष्यों के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान राज्य शहरी आजीविका मिशन स्तर से किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या–एफनं0 के014014/99/2014-यूपीए, दिनांक 10.06.2015 के क्रम में एन0एस0डी0सी0 को कुल आवंटित लक्ष्यों के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 30 प्रतिशत धनराशि का भुगतान किये जाने पर शासन को आपत्ति नहीं है। अतएव कृपया नियमानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एच0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in